

प्ररूप सं. 10गगख

[नियम 18खखख देखिए]

धारा 80झ(7)/80झक(7)/80झख/80झग के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट\*

1. निर्धारिती कंपनी का नाम : .....
  2. <sup>1</sup>[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] : .....
  3. प्रास्थिति : .....
  4. उपक्रम/उद्यम के स्वामित्व की प्रास्थिति: : .....
  - (i) निर्धारिती का पूर्ण स्वामित्व है हां ..... नहीं .....
  - (ii) निर्धारिती का भागत: स्वामित्व है हां ..... नहीं .....
  - यदि हां तो स्वामित्व का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करें : .....
  5. पता : .....
  6. धारा 80झक, धारा 80झख या धारा 80झग के अधीन कटौती के लिए पात्र उद्यम या उपक्रम का नाम : .....
  7. आयकर अधिनियम, 1961 की वह धारा और उपधारा, जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है : .....
  8. उपक्रम या उद्यम द्वारा सक्रिया/क्रियाकलाप आरंभ करने की तारीख : .....
  9. वह आरंभिक निर्धारण वर्ष, जबसे कटौती का दावा किया जा रहा है : .....
  10. कटौती का दावा करने वाले उद्यम/उपक्रम का पता (जिला और राज्य सहित) : .....
  11. उत्पाद-शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं. और वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है : .....
  12. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और वह कार्यालय जहां रजिस्ट्रीकृत है : .....
  13. वे स्थानीय/राज्य प्राधिकारी, जिनसे अनुमोदन लिया गया है (अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) : .....
- धारा 80झक के अधीन पात्र कारबार**
14. किसी अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास/संचालन/अनुरक्षण:
    - (क) अवसंरचना सुविधा के संबंध में, क्या उद्यम (कृपया चिन्हित करें)  
..... विकास, .....प्रचालन और  
अनुरक्षण करता है,  
..... अवसंरचना सुविधा का विकास,  
प्रचालन और अनुरक्षण करता है।
    - (ख) कृपया अवसंरचनात्मक सुविधा\*\*\* की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें  
[उदाहरणार्थ, सड़क, पुल, रेल प्रणाली, पोत, आदि [धारा  
80झक(4)(i) का स्पष्टीकरण देखिए]] : .....
    - (ग) क्या अवसंरचनात्मक सुविधा का प्रचालन और अनुरक्षण केंद्रीय/राज्य  
सरकार/स्थानीय प्राधिकारी/किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ किए  
गए करार के अनुसार उसके विकासकर्ता से अंतरण के आधार  
पर प्राप्त किया गया है हां ..... नहीं .....

1. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (घ) यदि हां, तो विकासकर्ता द्वारा धारा 80झक के अधीन कटौती का दावा करने के पहले वर्ष को विनिर्दिष्ट करें (विकासकर्ता के प्ररूप 10गगख की प्रति संलग्न करें) : .....
15. उपक्रम दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है : .....
- (क) कृपया दूरसंचार सेवा की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें : .....
- [उदाहरणार्थ, आधारीक दूरसंचार सेवा, सेलूलर सेवा आदि [धारा 80झक(4)(ii) देखिए]]
16. औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण
- (क) औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के संबंध में, क्या उपक्रम (कृपया चिन्हित करें):
- .....विकास, .....विकास या प्रचालन करता है
- .....औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का अनुरक्षण और प्रचालन करता है
- (ख) औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन का नाम और पता& : .....
- (ग) क्या औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन और अनुरक्षण को इसके विकासकर्ता से अंतरण पर प्राप्त किया गया है : हां ..... नहीं .....
- (घ) यदि हां तो विकासकर्ता द्वारा धारा 80झक के अधीन कटौती का दावा करने का प्रथम वर्ष (विकासकर्ता की प्ररूप 10गगख की प्रति संलग्न करें) : .....
17. विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण:
- (क) क्या उपक्रम विद्युत का उत्पादन या विद्युत का उत्पादन और वितरण करता है
- (i) यदि हां तो वह वर्ष जिसमें उपक्रम ने विद्युत उत्पादन आरंभ किया है : हां ..... नहीं .....
- (ख) क्या उपक्रम विद्युत का पारेषण या वितरण करता है
- (i) यदि हां तो वह वर्ष जिसमें नई पारेषण और वितरण लाइनें बिछाई गईं : हां ..... नहीं .....
- (ग) क्या पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण हुआ है
- यदि हां, तो कृपया बताएं—
- (i) वह वर्ष जिसमें पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया : .....
- (ii) तारीख 1.4.2004 को यथा विद्यमान संयंत्र और मशीनरी का वही मूल्य : .....
- (iii) पर्याप्त नवीकरण और आधुनिकीकरण के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी में वृद्धि मूल्य : .....

**धारा 80झख के अधीन पात्र कारबार**

18. वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में या शीत भंडार-गृह (कोल्ड स्टोरेज) संयंत्र के प्रचालन में लगे औद्योगिक उपक्रम

- (क) क्या औद्योगिक उपक्रम ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज़ का विनिर्माण या उत्पादन करता है (कृपया वस्तु या चीज़ विनिर्दिष्ट करें.....) हां ..... नहीं .....
- (ख) यदि हां तो क्या विनिर्माण प्रक्रिया में विद्युत का उपयोग होता है हां ..... नहीं .....
- (ग) विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की संख्या : .....
- (घ) क्या औद्योगिक उपक्रम किसी शीत भंडार-गृह संयंत्र का प्रचालन करता है हां ..... नहीं .....
- (ङ) यदि कंपनी एक लघु उद्योग उपक्रम है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें हां ..... नहीं .....
- (च) यदि उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है तो क्या उद्योग धारा 80 झख(4) के दूसरे परंतुक के अनुसार एक अधिसूचित उद्योग है? हां ..... नहीं .....
- (छ) यदि उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थित है तो क्या वह तेरहवीं अनुसूची के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज़ का विनिर्माण या उत्पादन करता है हां ..... नहीं .....

**19. पोत का कारबार**

- (क) क्या पोत किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन है और उसके द्वारा किए जा रहे कारबार के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है हां ..... नहीं .....
- (ख) यदि पोत को अंतरण से अर्जित किया गया था तो क्या पोत भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्व में था अथवा उसके द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र में उपयोग किया जाता था। हां ..... नहीं .....

**20. होटल का कारबार**

- (क) क्या होटल निम्नलिखित में से किसी स्थान में अवस्थित है
- (i) पर्वतीय क्षेत्र .....
- (ii) ग्रामीण क्षेत्र .....
- (iii) तीर्थ स्थान .....
- (iv) अन्य अधिसूचित क्षेत्र ..... (कृपया विनिर्दिष्ट करें .....)
- (v) उपर्युक्त में से कोई नहीं ..... (कृपया विनिर्दिष्ट करें .....)
- (ख) क्या होटल आयकर नियम, 1962 के नियम 18खखग के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है? हां ..... नहीं .....

**21. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कारबार**

- (क) क्या कारबार नियम 18घ के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है (कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें) हां ..... नहीं .....
- (ख) क्या यह आय-कर नियम के नियम 18घक में विहित शर्तें पूरी करता है हां ..... नहीं .....

22. खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण

(क) क्या उपक्रम खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण में लगा हुआ है?

हां ..... नहीं .....

(ख) यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें :

..... खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

..... खनिज तेल का परिष्करण

23. आवास परियोजनाओं का विकास और उनका निर्माण

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख (कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें), यदि एक से अधिक बार अनुमोदन प्राप्त किया गया है तो निर्माण के प्लान के प्रथम अनुमोदन की प्रति संलग्न करें)

: .....

(ख) आवास परियोजना के पूरा होने की तारीख

: .....

(ग) परियोजना के भूखंड का आकार

: .....

(घ) क्या परियोजना दिल्ली या मुंबई में या उनकी नगरीय सीमाओं के 25 किलोमीटर में स्थित है

हां ..... नहीं .....

(ङ) परियोजना की आवासीय इकाई का निर्मित क्षेत्रफल

: .....

(च) क्या परियोजना ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रवृत्त और अधिसूचित किसी विधि के अधीन गंदी बस्ती क्षेत्र घोषित किया जाता है, विद्यमान भवनों के पुनःसंनिर्माण/पुनर्विकास के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा विकसित स्कीम के अनुसार चलाई गई है (कृपया सी.बी.डी.टी. की अधिसूचना की प्रति संलग्न करें)

हां ..... नहीं .....

(छ) कृपया अपनाई लेखा पद्धति विनिर्दिष्ट करें

: .....

24. अन्य कारबार क्रियाकलाप

(क) क्या उपक्रम कृषि उत्पादों के लिए शीतागार शृंखला स्थापित करने और उनका प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है

हां ..... नहीं .....

(ख) क्या उपक्रम अनाज के भंडारण को संभालने और उनके परिवहन के एकीकृत कारबार में लगा हुआ है

हां ..... नहीं .....

(ग) क्या उपक्रम फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैक करने के कारबार में लगा हुआ है

हां ..... नहीं .....

25. धारा 80इग के अधीन पात्र कारबार

:

(i) क्या उपक्रम या उद्यम धारा 80इग के प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी क्षेत्र में अवस्थित है

हां ..... नहीं .....

(ii) यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें,—

(क) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र/ औद्योगिक वर्धन केन्द्र/औद्योगिक पार्क/संपदा/ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/औद्योगिक क्षेत्र/थीम पार्क का नाम और उस जिले/राज्य का नाम जहां वह अवस्थित है

: .....

(ख) उपक्रम या उद्यम का खसरा संख्यांक

: .....

(बोर्ड की अधिसूचना सं. भी विनिर्दिष्ट करें)

: .....

(ग) यदि पात्र कारबार नया है, तो कृपया वस्तु या चीज के उत्पादन या विनिर्माण के प्रारंभ की तारीख दें

: .....

(घ) यदि विद्यमान कारबार का वास्तविक प्रसार हुआ है, तो कृपया बताएं,—

- (i) वास्तविक प्रसार की तारीख : .....
- (ii) उस पूर्ववर्ष के, जिसमें वास्तविक प्रसार किया गया, पहले दिन को संयंत्र और मशीनरी का (किसी वर्ष में अवक्षरण को लेने से पूर्व) कुल वही मूल्य : .....
- (iii) वास्तविक प्रसार के वर्ष में संयंत्र और मशीनरी में वृद्धि मूल्य : .....
- (ड) क्या उपक्रम या उद्यम तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है हां ..... नहीं .....
- (यदि हां तो कृपया वस्तु या चीज विनिर्दिष्ट करें)
- (च) क्या उपक्रम या उद्यम चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है हां ..... नहीं .....
- (यदि हां, तो कृपया वस्तु या चीज या प्रचालन विनिर्दिष्ट करें)
26. धारा 80इक (4)(ii) और (iv)/80इख (3), (4), (5), (7) और (11)/80इग के अधीन कटौती के दावे के लिए कृपया यह बताएं कि –
- (क) क्या उपक्रम या उद्यम पहले से विद्यमान कारबार को विभाजित करके या उसका पुनः सुनिर्माण करके बनाया गया है? हां ..... नहीं .....
- (ख) यदि हां, तो धारा 33ख में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां और अवधि लागू होती है (कृपया ब्यौरा दें) : .....
- (ग) क्या उपक्रम या उद्यम में कोई मशीनरी या संयंत्र, जो पहले से किसी प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता था, अंतरण पर प्राप्त किया है हां ..... नहीं .....
- (घ) यदि हां, तो अंतरण पर प्राप्त मशीनरी या संयंत्र का मूल्य विनिर्दिष्ट करें : .....
- (ड) कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का कुल मूल्य : .....
27. उपक्रम के कुल विक्रय : .....
28. उपक्रम द्वारा निर्धारित के किसी संबद्ध समुत्थान या निर्धारित के दूसरे उपक्रम या उपक्रम के सह-स्वामी या सह-स्वामी के अन्य उपक्रम से संव्यवहार : .....
- [संबद्ध समुत्थान धारा 40क(2)(ख) के अर्थान्तर्गत एक व्यक्ति है]

संव्यवहार

संबद्ध समुत्थान का नाम

(कृपया प्रकृति और राशि विनिर्दिष्ट करें)

- (क) ..... रुपए
- (ख) ..... रुपए
- (ग) ..... रुपए
- (घ) ..... रुपए
29. उपक्रम/उद्यम को पात्र कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ# : .....
30. धारा 80इक/80इख/80इग/80इग के अधीन कटौती (जो लागू न हो उसे काट दें) : .....

## घोषणा

\*मैंने/हमने निर्धारित मैसर्स ..... (2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .....) की ..... नामक\*\* उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम के तारीख.....को यथाविद्यमान तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम के लाभ और हानि लेखा की जांच की है जो उनके..... स्थित मुख्यालय और ..... स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

\*मैंने/हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो \*मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, \*मेरी/हमारी राय में, जहां तक बहियों की \*मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए \*मेरे/हमारे द्वारा उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम या उद्यम के दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं ने लेखाओं की उचित बहियां रखी हैं और उन शाखाओं से, जहां \*मैंने/हमने दौरा नहीं किया है, संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त की गई हैं,

\*मेरी/हमारी राय में उपक्रम धारा 80झ/80झक/80झख/80झग में (जो लागू न हो उसे काट दें) विहित शर्तों को पूरा करना है और इस धारा के अधीन मद सं० 21 में दावा की गई कटौती आय-कर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है और अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है।

\*मेरी/हमारी राय में और \*मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और \*मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और सही जानकारी दी गई है—

(i) तुलन-पत्र की दशा में तारीख ..... को उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम के कार्यकलाप की स्थिति की, और

(ii) लाभ और हानि लेखा की दशा में, ..... को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम का लाभ या हानि की।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षरित

अकाउंटेंट

## टिप्पण :

1. \*जो लागू न हो उसे काट दें।
2. \*\*यहां नाम और पता दें।
3. \*\*\*केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ किए गए करार की प्रति उपलब्ध कराएं।
4. #कृपया उपक्रम/उद्यम के लाभ तथा हानि लेखा और तुलन-पत्र उपलब्ध कराएं।
5. &कृपया औद्योगिक पार्क/विशेष आर्थिक जोन के अनुमोदन की अधिसूचना उपलब्ध कराएं।
6. \$यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है—
  - (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या
  - (ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है।
7. जहां रिपोर्ट में किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा।